9.1.2025 वकील प्रार्थी मौजूद। बयान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा हथियाना तहसील कपासन की आराजी 353, 356 में दर्ज आराजियात प्रार्थी व प्रार्थी के भाई नारायण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात प्रार्थी के पिता कजोड़ीमल ने खरीदी थी। प्रार्थी का भाई नारायण लाल विक्षिप्त दिमाग का था। अतः प्रार्थी ने अपने माता, पिता व भाई की सेवा चाकरी की। व प्रार्थना पत्र वर्णित आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी के भाई नारायण लाल कि पत्नी कलपी देवी विवाह के बाद प्रथम बार घर आई उसके बाद आज दिन तक कभी नहीं आयी है। साथ ही प्रार्थी ने पिता के अपनी स्वजात चल अचल सम्पति प्रार्थी के वसीयत कर दी थी। इसलिये समस्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजियात प्रार्थी की है। व प्रार्थी के भाई नारायण की सेवा चाकरी भी प्रार्थी ने की इसलिये इनके नाम दर्ज कर दिये पर भी

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चित्तौड़गढ

App-A
Crm-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी मुकाम कपासन

भेरुलाल बनाम प्रतापी देवी

किस्म मुकदमा 212 एल.आर.एक्ट. नं. 51 सन 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	साक्षी का अधिकार है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण का लाभ पक्षकारों को प्राप्त हो सकता था। उक्त का गलत फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र के वर्णित आरोपियान को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व तर्क पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय होगा। राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर उनके उपयोग उपभोग के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल मूल दावा पत्रावली के साथ हो शामिल किया जावे। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़	